कार्यालय, जनपद न्यायालय, मऊ।
नीलामी सूचनाः-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जजेज आवासीय परिसर मऊ में स्वीकृत टाइप-5 के 14 नग अधिकारीगण के आवासों के निर्माण स्थल पर 72 अदद वृक्षों की नीलामी, माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, मऊ की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 25.02.2025 को सांय 4.30 बजे से जनपद न्यायालय के सभागार में सम्पन्न किया जायेगा।

नीलामी में प्रतिभाग हेतु इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि एवं स्थान पर उपस्थित हो सकते है।

नीलामी किये जाने वाले वृक्षों का विवरणः-

नीलामी में विभिन्न प्रजातियों (मुख्यतः अर्जुन, शीशम व कंजी) के विभिन्न व्यास के कुल 72 वृक्ष है, जिनका वन प्रभाग, मऊ द्वारा निर्धारित कुल न्यूनतम मूल्य मु० 70545/- है।

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी में प्रतिभागी, कुल न्यूनतम मूल्य (रू०-70545/-) का 10% जमानत राशि के रूप में नीलामी से पूर्व जमा करने के पश्चात ही नीलामी में प्रतिभाग ले सकते है।
2. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त नीलामी प्राप्तकर्ता एक कार्य दिवस के अन्दर नीलामी की पूर्ण धनराशि निक्षिप्त करेंगे। अन्य प्रतिभागी द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि नीलामी उपरान्त वापस कर दी जायेगी।
3. नीलामी प्राप्तकर्ता वृक्षों को काटने के पश्चात् वहाँ सम्बन्धित सभी अपशिष्ट हटाना होगा।
4. नीलामी प्राप्तकर्ता को वृक्षों को काटने एवं निर्माण स्थल से अपशिष्ट हटाये जाने हेतु एक सप्ताह की अवधि प्रदान की जायेगी।
5 नीलामी प्राप्तकर्ता को वन प्रभाग, मऊ से अपेक्षित परमिट स्वयं प्राप्त करना होगा।
6. वृक्षों की कटाई में यदि आवासीय परिसर में कोई क्षति होती है तो उसका मरम्मत/क्षतिपूर्ति नीलामी प्राप्तकर्ता को तत्काल करना होगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा 72 अदद वृक्ष के पातन के सापेक्ष 720 अदद पौधे स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये भूमि पर लगाये जायेगे।
8. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा 720 अदद पौधे लगाये जाने के पश्चात् कार्यदायी संस्था उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़, उक्त के निमित्त सूचना मय आख्या प्रेषित करेंगे, जिससे माननीय उच्च न्यायालय, द्वारा प्राप्त निर्देश का अनुपालन किया जा सके।
9.. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, वन प्रभाग, मऊ के पत्र सं० 1336/22-1 दिनांक 07.02.2024 द्वारा क्रेता को वृक्षों के पातन की अनुमति देने हेतु निम्नलिखित शर्ते अधिरोपित किया हैः-

   A. वृक्षों का पातन शुल्क प्रति शुल्क प्रति वृक्ष 100 रू० एवं मूल्यांकन प्रति वृक्ष 30 रू० अर्थात् कुल 9360.00 रू० (72 वृक्ष) प्रति वृक्ष क्रेता को जमा करना होगा।

   B. वृक्ष विदोहन के उपरान्त उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ की ढुलान हेतु इस कार्यालय से अभिवहन पास क्रेता को प्राप्त करना होगा। अभिवहन शुल्क उत्पादित प्रकाष्ठ की मात्रा पर निर्भर है, इसलिए अभिवहन शुल्क की धनराशि बताना सम्भव नहीं है।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषितः-

1. रजिस्ट्रार (जे) (कम्प्यूटर), इलाहाबाद, माननीय उच्च न्यायालय, की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. सिस्टम ऑफिसर, जनपद न्यायालय मऊ की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. नजारत, जनपद न्यायालय, मऊ।
4. नाजिर, कलेक्ट्रेट, मऊ।
5. कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, मऊ।
6. कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मऊ।
7. कार्यालय, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मऊ।

18.02.25	18.02.25	18.02.25
(जनार्दन प्रसाद यादव)	(हरेन्द्र प्रसाद)	(अशोक कुमार)
सदस्य नीलामी समिति/	सदस्य नीलामी समिति/	अध्यक्ष, नीलामी समिति/